भा0कृ0अनु0सं0–भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान
मोदीपुरम, मेरठ– 250 110

मिसिल संख्या 3–27/डिस्पोजल/18–19/ दिनांक : 29.08.2024

नीलामी सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि भा.कृ.अनु.प.– भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान मोदीपुरम–250 110 मेरठ (उ0 प्र0) में लगभग 800 किलोग्राम अखबार की रद्दी एवं लगभग 1000 किलोग्राम पुरानी फाईलों इत्यादि की रद्दी की नीलामी "जहाँ है जैसा है " के आधार पर की जानी है जिसके लिये बोली की दरे मोहरबन्द लिफाफे में नीलामी हेतु निर्धारित प्रोफार्मा में भरकर दिनांक 10.09.2024 समय अपराहन 2.00 तक संस्थान के रिसेप्शन पटल पर रखी नीलामी पेटिका में डालना सुनिश्चित करें, जो कि उसी दिन 3.00 बजे निस्तारण समीति के समक्ष खोली जायेंगी । निर्धारित समय के उपरान्त किसी भी दशा में निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी । इच्छुक केता संस्थान की वेब–साईट iifsr.icar.org.in पर उपलब्ध नियम, शर्तों एवं प्रोफार्मा का अवलोकन कर सकते हैं एवं डाउनलोड कर सकते हैं जो कि संस्थान के भण्डार अनुभाग में भी उपलब्ध हैं । नियम एवं शर्तें निम्न प्रकार हैं –

1. अखबार एवं अन्य रद्दी का निरीक्षण कार्यालय दिवस (सोमवार से शुक्रवार) में दिनांक 02.09. 2024 से 10.09.24 तक प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 1.00 तक संस्थान में किया जा सकता है ।
2. जमानत राशि के रूप में 2,000/– का ड्राफ्ट/ बैंकर चैक आई सी ए आर–आई आई एफ एस आर के नाम से कुटेशन के साथ संलग्न किया जाना आवश्यक है ।
3. कुटेशन सील कर लिफाफे पर "अखबार एवं पुरानी फाईलों के लिए कुटेशन " लिखना अनिवार्य है ।
4. बिना जमानत राशि के कुटेशन स्वीकार नहीं की जायेगी।
5. सफल बोलीदाता को सूचना के पश्चात आधी राशि उसी दिन ड्राफ्ट द्वारा जमा करानी होगी एवं बाकी धनराशि दो दिन में जमा करने के पश्चात दो दिन के अन्दर सामान उठाना होगा। यह राशि वास्तविक वजन के आधार पर देय होगी एवं नजदीकी धर्मकांटे पर तौलवाना होगा तथा इसमें लगने वाला समस्त व्यय केता का होगा । जमानत राशि सम्पूर्ण प्रकिया पूर्ण होने के उपरान्त हीं वापस की जायेगी ।
6. सामान ले जाने के लिये सफल बोलीदाता को फर्म का रजिस्ट्रेशन , आधार कार्ड, पैन कार्ड की स्वयं प्रमाणित प्रति आवश्यक रूप से संस्थान में जमा कराने होंगे ।
7. सफल बोलीदाता को सामान अपने खर्चे पर ले जाना होगा । नीलामी के पश्चात संस्थान की किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी नहीं होगी ।
8. कुटेशन डालने के पश्चात वापस लेने का अधिकार नहीं होगा यदि ऐसा पाया जाता है तो जमानत राशि जब्त कर ली जायेगी ।
9. कुटेशन संस्थान द्वारा निर्धारित प्रोफार्मा में भरकर डालना होगा जोकि संस्थान की वेबसाईट /भण्डार अनुभाग से प्राप्त किया जा सकता है ।
10. सभी टैक्स एवं खर्चे यदि होंगे सफल बोलीदाता द्वारा ही वहन किया जायेगा ।
11. संस्थान की रद्दी का किसी भी प्रकार का दुरुपयोग किसी भी स्तर पर मान्य नहीं है ।
12. संस्थान के निदेशक को बिना कारण बताये कुटेशन स्वीकार/निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा एवं किसी भी नियम व शर्त को जनहित में शिथिलता देने का अधिकार सुरक्षित होगा ।

संलग्नकः रेट देने हेतु प्रोफार्मा

28/08/2024

प्रभारी अधिकारी (भण्डार)
मो0 सं0 9927013585
7983437809